2020/00236

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन जाति जैन निवासी सिरोही रोड़ तहसील पिण्ड़वाड़ा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 38 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1?.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 25.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ए.डी.एम सिरोही द्वारा उनके न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 7/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 में खारिज किये गए दोनों पट्टों की भूमि किसकी थी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 25.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ए.डी.एम सिरोही द्वारा उनके न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 7/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 में खारिज किये गए दोनों पट्टों की भूमि किसकी थी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 723 दिनांक 27.11.2019 को चाही गई सूचना अपीलांट को उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 16:48:54 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	882-83 13/8/20

Scanned with CamScanner